205/12.00

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या–745/2017/XXVII(8)/7(100)/2017
देहरादून::दिनांक 19 सितम्बर ,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत लिपिकों का राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग का राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग का राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017" है ।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी ।

(3) यह नियमावली लिपिक संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग के अन्तर्गत लिपिक संवर्गीय पदों को शासित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तद्र्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग तथा मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड के लिपिक संवर्ग (वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

संविलियन हेतु पात्रता सेवा का निर्धारण

4.(1) राज्य सरकार, मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, राज्य कर विभाग के समकक्ष लिपिक संवर्ग में संविलियन, आदेश द्वारा करेंगे।

(2) समकक्ष लिपिक संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे, जो मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में लिपिक संवर्ग के पद पर नियमानुसार मौलिक रूप से नियुक्त हो ।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति वही होगी, जो मनोरंजन कर लिपिक संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये गये कार्मिकों की ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले संगत लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को राज्य कर विभाग के अधीन नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा।

(7) लिपिक संवर्ग के उक्त पदों पर किया गया संविलियन राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिकों की मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को संबंधित संवर्ग में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना जायेगा। राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में उक्तानुसार पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव ।